प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक
राम अवध सिंह प्रा०वि०परतावल चौक,
क्षेत्र–परतावल,जनपद–महराजगंज।

पत्रांक:अर्थ/ 2113-17 /2006–07/ दिनांक:– 18/7/2006

विषय:–प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थायी शासनादेश संख्या–230/15–6–96718एस(7)दिनांक:–18-1-96 एवं शासनादेश संख्या–1873(1)15–6–96के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2006–07 से प्रदान की जाती है।

1– परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाय।

2– अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन चालू सत्र में करा दिया जाय।

3– अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जायें।

4– बिना पूर्वानुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बन्द व समाप्त, स्थानांतरित न किये जायें। नियमानुसार पॉच वर्ग अनुमन्य होंगे।

5– विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा–जोखा रखा जाय।

6– इस कार्यालय की अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।

7– विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

8– स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पॉच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।
18/7/2006

पृ०सं०/अर्थ/ /2006–07– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
2- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद– महराजगंज।
3- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
4- संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महराजगंज

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामअवध सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण समिति परतावल चौक, महराजगंज द्वारा संचालित राम अवध सिंह प्रा0वि0 (कक्षा-01 से कक्षा 05 तक) परतावल चौक जनपद-महराजगंज को इस कार्यालय के पत्रांक 2113-17/2006-07/18-07-2006 को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है जिसे वर्तमान समय में सी0बी0एस0ई बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा संशोधित नाम RASIN SCHOOL परतावल चौक महराजगंज के नाम से संचालित किया जा रहा है।

28/01/16

महेन्द्र प्रसाद
(प्रभारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज
22/01/16
22/01/16

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
रामअवतार सिंह ,जू0हाई स्कूल ,परतावल
क्षेत्र- परतावल ,महराजगंज ।

पत्रांक / 8596-897 / 2005-2006 दिनांक 16/12/05

विषय अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या/646/15-6-97-18 एस (7)/89 दिनांक 13.08.97 में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत जू0हा0 स्कूल की अस्थायी मान्यता हेतु गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा 6 से 8 तक) के विद्यालय की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 03 (तीन) वर्ग अनुमन्य होगें। अतिरिक्त उप वर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्र0अ0 सहित कुल पॉच अध्यापक/अध्यापिका, एक लिपिक, एक अनुचर मान्य होगें। चार शिक्षकों में एक भाषा एवं एक विज्ञान गणित शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है। विभागीय/शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार बेसिक शिक्षा संहिता में उल्लिखित सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्ध:-

1. विद्यालय मे बेसिक शिक्ष परिषद द्वारा मान्य पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और नही अन्य पाठ्य पुस्तके प्रयोग की जाएगी।
2. विद्यालय में राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
3. प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका ही रखे जाय बिना बे0शि0अ0 के अनुमति के न तो शिक्षक रखे जायेगें, न निकाले जायेगें।
4. विद्यालय में प्रा0पा0 चलाया जाना सर्वथा अमान्य व अवैध माना जायेगा।
5. शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्म0 को परिषद के समान वेतन, महंगाई भत्ता आदि देय होगा।
6. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागिरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
7. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय के समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। जिसको डाकघर अनु0 बैंक मे रखा जाय।
8. विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जाएगा।
9. सभी शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमोदन 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है।

भवदीय,

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।
16/12/05

पृ0सं0/ / 2005-06 उसी तिथि को

प्रतिलिपि - निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, उ0प्र0, बे0शि0प0, इलाहाबाद। 2- सहा0 शि0नि0 (बेसिक) सप्तम मण्डल गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
4. उ0बे0शि0अ0महराजगंज 5-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी परतावल

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

—:प्रमाण—पत्र:—

प्रमाणित किया जाता है कि राममअवध सिंह शिक्षा एवंज न कल्याण समिति, परतावल, महराजगंज द्वारा संचालित रामअवध सिंह जू0हा0स्कूल परतावल,जनपद—महराजगंज को इस कार्यालय के पत्रांक:5526—32/2005—06 दिनांक 16.12.2005 को अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी है, जिसे वर्तमान समय में उच्चीकृत स्वरूप (UPGARADE) CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा राम अवध सिंह नेशनल स्कूल (RASIN SCHOOL) नाम से संचालित किया जा रहा है।

(रमाकान्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज

पत्रांकः/बेसिक/स0प्रा0/ 926 /2018–19 दिनांक : 8/03/19

रामअवध सिंह जू0हाई स्कूल (रसिन स्कूल)
परतावल, क्षेत्र–परतावल, महराजगंज।

कृपया आप अपने पत्रांक दिनांक 27.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, महराजगंज की जांच आख्या दिनांक 05.03.2019 के अनुसार रामअवध सिंह जू0हाई स्कूल (रसिन स्कूल), परतावल, क्षेत्र–परतावल, महराजगंज की 1–5 से 6–8 तक पत्र सं0–526–32/2005–2006 दिनांक 16.12.2005 के द्वारा) मान्यता प्राप्त है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–डी0ई0/बे0शि0प0/2828–2919/2010–11 दिनांक 07 जुलाई, 2010 एवं शासनादेश सं0–419/79–6–2014–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के अनुसार विद्यालय वर्तमान शैक्षिक सत्र में संचालित है एवं मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है।

7/3/19
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspd@gmail.com दूरभाष 0522-4024440, 2780384, 2781128

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
स्कूल शिक्षा उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष वर्मा
संयुक्त सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
शास्त्री भवन नई दिल्ली।

पत्रांक: राज्यपनि/ 5654 /2021-22/लखनऊ दिनांक: 8 मार्च ~~फरवरी~~, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-619/79-5-2013-18(20)/91 दिनांक 06 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबंधिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के सुविधा/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: राज्यपनि/ /2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सदा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (यूडायस-एक)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

PRINCIPAL
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj

MANAGER
RASIN SCHOOL
Partawal Chowk - Maharajganj